

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|--|---------|--|
| वादी | ब | प्रतिवादी |
| हणमानाराम पुत्र अमरराम जाट -11-2-24 | ना म | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 327/2021 GCMS No. 2021/1124

| | | |
|-------------|------------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|--|

31/1/2021
वादी श्री हणमानाराम पुत्र अमरराम जाट निवासी -11-2-24 द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत -11-2-24 में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2077 ग्राम -चावदपुय पटवार मण्डल [मिठिया] के खाता नम्बर 4 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि हणमानाराम पुत्र अमरराम

दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम हणमानाराम पुत्र अमरराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 8655 9824 3761 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज [कम्प्यूटर] की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी [मिठिया] भू.अ.नि [हम] एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

1323-1325